संख्या:60/2026/533/35-4-2026/35-4002(003)/3/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2292/त्व०आ०वि०यो०/2025-26 दिनांक 19 मार्च, 2026 एवं पत्र सं0-2308/त्व०आ०वि० यो0/2025-26 दिनांक 20 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 3821.17 लाख (रुपये अड़तीस करोड़ इक्कीस लाख सत्रह हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 960.00 लाख (रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम वीरभानपुर में सालिक राम भारतीय के खेत से महादेव के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य	500	36.97	9.00	ग्रा0अभि0वि0
2	ग्राम मेडुवा में पप्पू भारतीया के घर से होते हुए छोटे लाल बिन्द के घर से गुलालपुर मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	34.52	9.00	ग्रा0अभि0वि0
3	ग्राम बभनकुइया में इण्टरलाकिंग से लाल प्रताप के घर तक एंव इण्टरलाकिंग से पक्की सडक तक एवं चैरा माता इण्टरलाकिंग से नईम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	502	33.60	8.00	ग्रा0अभि0वि0
4	विष्णापुरी कालोनी में किडस स्कूल से लेकर नीतेश्वर राय के घर के आगे व बी0एन0सिंह के घर से लेकर त्रिलोकीनाथ के घर की ओर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	48.79	12.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	पोगहट पुल के निकट अल्का विहार कालोनी विवेकानन्द स्कूल के पास में श्री राम प्रकाश के घर से संगम लाल के घर तक एंव आदर्श नगर कालोनी अल्का विहार बमरौली प्रयागराज में अमिता सदन के मकान से विवेकानन्द इण्टर कालेज होते हुए टी0आर0 शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	500	48.78	12.00	ग्रा0अभि0वि0
6	ग्राम कस्तूरीपुर मे रमाकान्त पाण्डेय के घर से होते हुए प्रा0 विद्या0 कस्तूरीपुर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	33.49	8.00	ग्रा0अभि0वि0
7	ग्राम कजिया में बिन्देश्वरी गुप्ता के खेत से रामसूरत पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	525	35.76	9.00	ग्रा0अभि0वि0
8	ग्राम मोहम्मदपुर सराय अली के नहर से पटेल बस्ती होते हुए तालाब तक इण्टरलाकिंग कार्य	535	34.72	9.00	ग्रा0अभि0वि0
9	ग्राम आंटा में प्राथमिक विद्यालय आंटा के सामने से कमलेश पटेल के घर तक एवं तिराहे से होते हुए गेंदा पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	31.51	8.00	ग्रा0अभि0वि0
10	ग्राम मनेथू में नहर की पटरी के इण्टरलाकिंग के पास माता चैरा से रेलवे लाईन के पास तक एवं बेलवा मार्ग पर डिडवा से रामबहादुर मास्टर के घर होते हुए नहर तक कार्य।	540	34.76	9.00	ग्रा0अभि0वि0
11	ग्राम शैफखानपुर में फकीर बस्ती निसार अहमद के घर से राम जी के घर तक एंव बाबूलाल के घर से काली रोड से दिलीप पटेल के घर तक एवं सी सी रोड से राम अचल प्रजापति के घर तक एंव सी सी रेाड से मल्लू प्रजापति के घर तक एंव इस्लाम के घर तक काली रोड से रामचन्द्र के घर तक एंवं रंजीत पटेल के घर तक एंव पक्की रोड हेमराज पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	500	32.63	8.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

12	ग्राम कांदी मे शिवराम सिंह के चक्की से अजय के घर से होते हुए अरविन्द एवं पक्की सडक से बब्लू दुबे तक एवं रमेश के घर से भुजवा के चक्की तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	550	37.88	9.00	ग्रा0अभि0वि0
13	ग्राम पंचायत देवरिया में प्राथमिक विद्यालय से रामलीला मैदान एंवं नीलू के घर तक एवं देवी चैरा से स्वास्थ्य केन्द्र तक इण्टरलाकिंग कार्य।	540	38.14	10.00	ग्रा0अभि0वि0
14	ग्राम पंचायत लाहुरपुर में डी0एल0सिंह के घर के सामने गौशाला के पास तालाब तक नाली निर्माण	500	21.67	5.00	ग्रा0अभि0वि0
15	ग्राम सरायजोधराय में विनोद कुमार के घर से पंचम लाल के घर तक सड़क निर्माण का कार्य	500	35.65	9.00	ग्रा0अभि0वि0
16	ग्राम रामनगर माता का पूरा जंगबहादुर पटेल के मकान से महेन्द्र कुशवाहा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	34.71	9.00	ग्रा0अभि0वि0
17	ग्राम नीवी कला उस्तापुर में पक्की सड़क से वेद प्रकाश दुबे के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	25.03	6.00	ग्रा0अभि0वि0
18	ग्राम पहाडी खुर्द में रामपार सम्पर्क मार्ग से राजेन्द्र सिंह के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	530	39.20	10.00	ग्रा0अभि0वि0
19	ग्राम नीवी तालुका खुर्द में काली सड़क से उदित मिश्रा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	520	35.89	9.00	ग्रा0अभि0वि0
20	ग्राम टकटकई में चन्देलन का पूरा में इण्टरलाकिंग सड़क से संगम लाल के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	575	42.57	11.00	ग्रा0अभि0वि0
21	ग्राम रामनगर माता का पूरा में गोरे लाल के मकान से बसवरिया तक सड़क निर्माण का कार्य	500	34.65	9.00	ग्रा0अभि0वि0
22	ग्राम मवैया में काली सड़क से निबैया सड़क मार्ग तक सड़क निर्माण का कार्य।	1000	45.26	11.00	ग्रा0अभि0वि0
23	ग्राम रामपुर में रामपुर तिराहे से स्व0 मोहन लाल केशरवानी के घर से होते हुए सुनील तिवारी के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	500	34.52	9.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

24	ग्राम ब्लाक व तहसील सोरांव में मुख्य मार्ग से अनिल कुमार मिश्र के घर से बेबी मिश्रा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	42.47	11.00	ग्रा0अभि0वि0
25	ग्राम नैनी वार्ड 47 में कनैला चैराहा से आगे पप्पू शर्मा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	34.52	9.00	ग्रा0अभि0वि0
26	ग्राम केचुहा में मुख्य मार्ग काली सड़क से मुल्कराज के घर तक सड़क निर्माण का कार्य।	500	44.29	11.00	ग्रा0अभि0वि0
27	ग्राम दगवा कांटी में रीवा रोड से आनंदी प्रसाद जूनियर हाई स्कूल तक सड़क निर्माण का कार्य	500	33.92	8.00	ग्रा0अभि0वि0
28	ग्राम लालतारा में कोडहार खीरी मार्ग से कोलान बस्ती तक मार्ग निर्माण कार्य	350	24.40	6.00	ग्रा0अभि0वि0
29	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सरायमदन में करूणेश कुमार के घर मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	36.83	9.00	ग्रा0अभि0वि0
30	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम आदमपुर में पंचायत भवन से भना के घर तक लेपन का कार्य।	700	33.23	8.00	ग्रा0अभि0वि0
31	विकास खण्ड मऊआईमा के ग्राम डी0पी0एच0 लां कालेज से भीमराव अम्बेडकर स्कूल से होते हुए चम्पा के खेत तक लेपन का कार्य।	645	31.98	8.00	ग्रा0अभि0वि0
32	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सरगापुर बजाही डीह काली रोड से दयाराम के मशीन से होते हुए महेन्द्र मौर्य के घर शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	200	28.84	7.00	ग्रा0अभि0वि0
33	विकास खण्ड सोरावं के जूडापुरदांदू में नारायणपुर काली रोड से दूधनाथ प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	38.79	10.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम बोमापुर काली सडक शिव मंन्दिर के बगल से श्री सत्यनारायण मिश्र शिक्षक जी के आवास के बगल देवी चबूतरा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	800	48.88	12.00	ग्रा0अभि0वि0
35	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम बोमापुर में जलालपुर इण्टर कालेज के सडक से कम्पोजिट विद्यालय तक लेपन कार्य।	900	44.67	11.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

36	विकास खण्ड मऊआईमा के ग्राम बसदेईया रोड से काशीराम आवास योजना पावर हाडस के सामने तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	42.66	11.00	ग्रा0अभि0वि0
37	विकास खण्ड होलागढ के ग्राम राजापुर चैबारा में सी सी रोड से बच्चालाल के घर सामने होते हुए सुरेश मौर्य के घर होते हुए देवी प्रसाद मार्य के घर के सामने इण्टरलाकिंग तक अजय के घर से कमलेश कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	30.82	8.00	ग्रा0अभि0वि0
38	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सरायदत्ते में सरांयदत्ते नहर के पुल पाकड के पास से सुरेन्द्र सिंह के घर होते हुए हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	33.93	8.00	ग्रा0अभि0वि0
39	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सिसई सिपाह में काली सडक ईट भटटे से रिकू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग नव निर्माण कार्य	1000	49.58	11.00	ग्रा0अभि0वि0
40	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सरायमुहीददीन में बुढिया माई चैरा से राजाराम प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	31.98	8.00	ग्रा0अभि0वि0
41	विकास खण्ड बहरिया के ग्राम हरीराम पटटी उर्फ कटनाई में राम समुझ मिश्रा के घर से श्री राकेश शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	550	39.18	10.00	ग्रा0अभि0वि0
42	भिदुउरा काली रोड से राम हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग व लेपन का कार्य।	470	28.05	7.00	ग्रा0अभि0वि0
43	बिजलीपुर हाईवे से पश्चिम व पूरब व पाण्डेय का पूरा डा0 रामराज की घर की तरफ सड़क निर्माण कार्य।	400	27.30	7.00	ग्रा0अभि0वि0
44	इलाहाबाद लखनऊ रोड से टिकरी दर्जियान बस्ती तक सडक कार्य।	300	20.23	5.00	ग्रा0अभि0वि0
45	राम केस सरोज लाई के घर से शंकर लाल गुप्ता सराय राह कोरारी तक सडक निर्माण कार्य।	350	22.59	6.00	ग्रा0अभि0वि0
46	उंचडीह में भैहरण नाथ रोड से धीरज के घर तक सडक निर्माण कार्य।	310	24.67	6.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

47	थम्भन का पूरा में चौरसिया के घर से विश्वनाथ गौतम के घर होते हुए ओम प्रकाश द्विवेदी के घर होते हुए सुरेश प्रजापति एवं सी सी रोड से इन्द्रजीत पटेल के घर तक सडक निर्माण कार्य।	500	38.86	10.00	ग्रा0अभि0वि0
48	विकास खण्ड श्रंग्वेरपुर ग्राम सभा सराय पदमावत से कल्लू तिवारी के घर से सोनू सरोज के घर तक सडक निर्माण कार्य।	400	22.21	6.00	ग्रा0अभि0वि0
49	मलाक पयागी विकास खण्ड मऊआईमा पक्की सडक से पश्चिम मन्दिर तक सडक निर्माण कार्य।	250	16.34	4.00	ग्रा0अभि0वि0
50	हुसैनपुर विकास खण्ड कौडिहार श्री सुभाष कुमार पटेल पक्की सडक से राम नरेश पटेल के घर तक सडक निर्माण कार्य।	300	14.83	4.00	ग्रा0अभि0वि0
51	सोरांव अल्पी का पूरा पक्की सड़क से वाया श्री शिव जी के घर से दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	250	14.83	4.00	ग्रा0अभि0वि0
52	वेरांवा रामदीन का पूरा राधादेवी मार्ग से अनिल मिश्रा के घर से सेरांवा मार्ग तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	250	15.07	4.00	ग्रा0अभि0वि0
53	ग्राम पंचायत वरी बोझ पवनाह मार्ग नहर की पटरी से पंखी का पूरा हनूमान मन्दिर पटेल बस्ती तक सडक निर्माण कार्य।	300	17.00	4.00	ग्रा0अभि0वि0
54	रामगढ पक्की सड़क से कालीदीन के घर होते हुए मातादीन तिवारी के घर के सामने तक सडक निर्माण कार्य।	500	33.51	8.00	ग्रा0अभि0वि0
55	आदमपुर पक्की सडक से प्रजापति बस्ती तक सडक निर्माण कार्य।	500	38.86	10.00	ग्रा0अभि0वि0
56	बजहा डिहवा श्री बद्री प्रसाद के घर से उत्तर सड़क तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	350	18.90	5.00	ग्रा0अभि0वि0
57	घाटमपुर श्री जबरू सिंह पाल के घर से श्री महारानी दीन पाल के घर तक सडक निर्माण कार्य	300	18.27	5.00	ग्रा0अभि0वि0
58	उठगी कौडिहार पक्की सडक से श्री सुभाष द्विवेदी के घर से आगे सडक तक सडक निर्माण कार्य।	300	14.72	4.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

59	मातादीन बाजार अरूआंव पक्की सड़क से राम प्रताप पाल के घर तक सडक निर्माण का कार्य।	300	22.32	6.00	ग्रा0अभि0वि0
60	बडनपुर मे राजू शर्मा के घर से बाउल मौर्या के घर तक सडक निर्माण कार्य।	250	16.27	4.00	ग्रा0अभि0वि0
61	बेरांवा खरगापुर पुल से नोहरी का पूरा राजेश गुप्ता के गांव तक लेपन का कार्य।	600	22.47	6.00	ग्रा0अभि0वि0
62	उंचडीह में खडण्जा मार्ग सरनाम का पूरा यशवन्त सिंह के घर वाया हरिलाल सरोज के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	300	23.89	6.00	ग्रा0अभि0वि0
63	उदयचन्द्रपुर नहर से वाया दलित बस्ती गांव तक सडक निर्माण का कार्य।	400	32.14	8.00	ग्रा0अभि0वि0
64	सहिबाबाद सलोरी मे सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	1 नं0	127.66	32.00	ग्रा0अभि0वि0
65	चांदपुर सलोरी चैराहे के बगल में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	1 नं0	72.86	18.00	ग्रा0अभि0वि0
66	सलोरी मे राजीव नगर पुलिया से पूर्व पार्षद रूपा देवी के घर के पीछे तक आर.सी.सी.नाला व इण्टरलाकिंग कार्य एवं अशोक कुमार के घर से वेद डिजिटल लाईब्रेरी होते हुए पीएन सिंह स्कूल से लेकर राकेश प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	315	70.22	18.00	ग्रा0अभि0वि0
67	अल्लापुर हैजा अस्पताल मे दशरथ के मकान से गणेश नाऊ के घर तक व पन्ना के घर से सुग्गन के घर तक अन्य समस्त आंतरिक गलियों में इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	1080	98.06	25.00	ग्रा0अभि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

68	मेहदौरी इन्द्रापस्थ मार्ग न्यू मेहदौरी कालोनी मे चिल्डेन स्कूल से चटनी मिल के पीछे से शास्वत श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य व श्रीराम पार्क के पीछे वीके त्रिपाठी के घर से वीना त्यागी के घर होते साकिलराम साहू व डा0 एमएम यादव के घर से कृष्णपाल (असिस्टेट कमिश्नर स्टाम्प के घर तक रोड व नाली निर्माण कार्य व झील वाली रोड पर मकान नं0 101 विनोद तिवारी के घर से मकान नं0 106 सुनील तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	650	59.80	15.00	ग्रा0अभि0वि0
69	मधवापुर रिशिजन के घर से त्रिवेणी अपार्टमेन्ट होते हुए काल भैरव मन्दिर तक व त्रिवेणी अपार्टमेन्ट से हास्पिटल तक रोड व नाली निर्माण एवं कच्ची सडक सुलभ काम्पलेक्स वाली रोड का अवशेष कार्य एवं अनामिका चौधरी के घर के पास इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	530	43.03	11.00	ग्रा0अभि0वि0
70	शिवपुरी मेला रेाड पर हनुमान मंन्दिर से लेकर संस्कृत विद्यालय तक व विजय शंकर पांडे के मकान से लेकर अनिल शुक्ला मास्टर साहब के घर तक तथा पीकू पुरी के मकान से अशोक शुक्ला दरोगा जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य एवं एसबीआई बैंक के सामने इण्टरलाकिंग का कार्य एवं चंदन जनरल स्टोर (कशिश अग्रवाल) से संस्कृत विहार अपार्टमेन्ट होते हुए रामसूरत यादव के घर तक कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	320	31.98	8.00	ग्रा0अभि0वि0
71	बमररौली में टिकुरी कछार में गांव के अन्दर सड़क का निर्माण कार्य।	566	30.09	8.00	ग्रा0अभि0वि0
72	खजालमपुर में पुलिस कालोनी से सुमन पटेल के आवास होते हुए गुलाब के टयूबवेल की ओर सड़क का निर्माण कार्य।	504	26.30	7.00	ग्रा0अभि0वि0
73	कालिन्दीपुरम में कालिन्दीकुंज गेस्ट हाउस से उमेश मौर्या के घर से होते हुए अरसद फेबरीकेशन वाली गली तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	503	58.02	15.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

74	बंसन्त विहार कालोनी में डामर रोड से बेनी माधव सिंह के घर होते हुए दिलीप राय के घर से विक्रम सिंह के घर की ओर इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	502	49.97	12.00	ग्रा0अभि0वि0
75	गंगा विहार कालोनी में डामर रोड से बेनी माधव सिह के घर होते हुए दिलीप राय के घर से विक्रम सिंह के घर की अेार इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	516	50.31	13.00	ग्रा0अभि0वि0
76	विष्णापुरी कालोनी मे नजदीक बजरंग चैराहा लेन 26-ए एवं 24-ए की सड़क पर इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	561	58.63	15.00	ग्रा0अभि0वि0
77	विष्णापुरी में पंचशील चैराहा मे शैलेन्द्र के घर से गुप्ता जी के दुकान तक एवं आस-पास की गली में इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	507	54.61	14.00	ग्रा0अभि0वि0
78	मादपुर में इण्टरलाकिंग रोड से सरकारी टयूबवेल तक एवं दलित बस्ती में इण्टरलाकिंग का कार्य।	597	35.38	9.00	ग्रा0अभि0वि0
79	झलवा (मास्टर साहब की बगीया) में विनोद पासी के घर से रमाशंकर शुक्ला के घर तक एवं आस-पास की गल्लियों में तथा अजीत पाण्डेय के मकान से अजय पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	679	54.47	14.00	ग्रा0अभि0वि0
80	असरावे खुर्द में शुद्ध शाहू के घर से बडेलाल के घर होते हुए पंचायत भवन की ओर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	522	21.86	5.00	ग्रा0अभि0वि0
81	कटहुला गौसपुर मेन रोड से कैलाश के घर से रेलवे लाइन पुलिया होते हुए हरियारा गांव तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	522	35.29	9.00	ग्रा0अभि0वि0
82	नुमाया डाही मे बाके चौरसिया के घर से ज्ञान बाबू केसरवानी घर होते हुए शिवबाबू चौरसिया के घर तक एवं टिकुरी में बिसौना मेन रोड से अमरजीत पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	505	31.89	8.00	ग्रा0अभि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

83	मीरापुर हनुमान मंन्दिर के बगल गली में इमली ढाल से धमनी माता मन्दिर होते हुए शिव मन्दिर से मनु पाठक तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	512	49.91	12.00	ग्रा0अभि0वि0
84	वैरहना में पूर्व पार्षद जगमोहन गुप्ता के कार्यालय से प्राथमिक पाठशाला होते हुए संजय सोंनकर के घर तक धुन्नू यादव के घर से राय साहब के घर होते हुए इंदल शर्मा से कौशल सोनी जी तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	581	44.68	11.00	ग्रा0अभि0वि0
85	नैनी महेवा पश्चिम पटटी में लक्ष्मी गुरू से मामिथ यादव राम निषाद मोनू निषाद शिव प्रकाश बृजेश प्रधान गिरिजा देवी गुलाब भारतीय नीरज मिथुन अजय के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	844	52.77	13.00	ग्रा0अभि0वि0
86	बैरहना मुख्य मार्ग पर गोल्डेन मेडिकल स्टोर गली से करूणा गुप्ता मनोज चौधरी राहुल पाण्डेय के घर से बलराम पाण्डेय के घर होते हुए राज बहादुर शर्मा से मुन्नी देवी खिन्नी पेड गली के पास नितिन साहू के घर से प्रेम बिहारी श्रीवास्तव , रजत श्रीवास्तव , बृजेश श्रीवास्तव के घर से राम जी कौव्वाल तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	720	55.62	14.00	ग्रा0अभि0वि0
87	ओम शांन्तीपुरम नैनी मे विनय पांडेय के सामने धमेन्द्र सिंह जी के घर से सब का साथी फाउण्डेशन के घर होते हुए संजय पाण्डेय रवि सिंह यादव जी मिथिलेश सिंह संतोष कुमार मूलचन्द्र राधा किशुन सिंह सतेन्द्र सिंह के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	650	71.94	18.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

88	ओम शांन्तीपुरम नैनी से कम्पोजिट शराब की दुकान के बगल होते हुए आशीष मिश्रा पी0के0घर के बगल गली में रोहित तिवारी गुलाब चैरसिया सूर्यमणि यादव चंन्दमणि कुशवाहा संतोष दुबे , संदीप पाण्डेय तिवारी जनरल स्टोर बी0एन0बिंद सुनील कुमार रमाशंकर यादव उमाशंकर यादव (बाबाजी) उमा प्रसाद तिवारी राम प्रसाद यादव पवन कुमार शुक्ला मंगल कुमार कुशवाहा के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	710	98.15	25.00	ग्रा0अभि0वि0
89	नैनी मुख्य मार्ग पर कल्लू स्वीट के सामने दलित बस्ती में सुरेश के घर से राज कुमार के घर होते हुए जितेन्द्र कुमार के घर तक रवि कुमार के घर से ओंमकार के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	505	36.28	9.00	ग्रा0अभि0वि0
90	नैनी महेवा पूरब पटटी नई बस्ती मे ईरा गार्डेन से साजन भारतीया सागर भारतीया आशीष भारतीया पुरूषोत्तम भारतीया पारवती भारतीया बलराम भारतीया बिन्दु भारतीया धर्मेन्द भारतीया डब्बू गौड राहुल भारतीय जय कुमार बिल्लू भारतीया राजनारायण रामचन्द्र भारतीया मेवा लाल दीदीजी सोनी जी के घर तक रोड नाली का निर्माण कार्य	760	43.52	11.00	ग्रा0अभि0वि0
91	नैनी महेवा पश्चिम पटटी में राजकुमार निषाद से बृजेश जुगुल किशोर नयन पाली क्लीनिक शनि रामसनी स्व0 किशोरी लाल मनी राम गुडडू निषाद सुधीर कुशवाहा मुन्ना कुशवाहा से दिनेश लीलावती निवास भोला भारतीया के घर तक रोड एव नाली का निर्माण कार्य	685	48.73	12.00	ग्रा0अभि0वि0
92	ग्राम पंचायत मलखानपुर मिश्रिरपटटी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1200	71.32	18.00	ग्रा0अभि0वि0
93	विकास खण्ड सोरांव के ग्राम पंचायत सराय लाल खातून उर्फ शिवगढ में श्री प्रमोद केसरवानी के दुकान से कोखराज हण्डिया राज्यमार्ग सर्विस रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	30.00	8.00	ग्रा0अभि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

94	ग्राम उदगी नेवादा नहर से रामपाल के घर व बिन्द बस्ती होते हुए काली शंकर के घर तक सडक निर्माण का कार्य।	1900	97.88	24.00	ग्रा0अभि0वि0
95	ग्राम पंचायत भुई विकास खण्ड धनूपुर मे सुखवा बिन्द बस्ती से मुसहर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य।	1000	65.96	16.00	ग्रा0अभि0वि0
96	ग्राम पंचायत -हरिचन्द्रपुर विकास खण्ड-हण्डिया में बिन्द बस्ती से यादव बस्ती रामनाथी नब्बे चैरहा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग कार्य।	800	38.98	10.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग:		**3821.17**	**960.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से (1) **क्रमांक-66 से 91** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 3,31,00,000 (रू0 तीन करोड़ इकत्तीस लाख मात्र) को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- 0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे, (2) **क्रमांक-64 व 65** पर इंगित कार्य पर होने वाले व्यय रू0 50,00,000 (रू0 पचास लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- **0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण** हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा (3) शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 5,79,00,000 (रू0 पॉच करोड़ उन्यासी लाख मात्र) को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा **अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 60/2026/533(1)/35-4-2025/35-4002(003)/3/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।